महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – सतासीवां संस्करण (माह जून, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संस्थान में आगमन
3. बच्चों के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव
4. जिला मण्डला के रामनगर में आदि उत्सव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 विषय पर प्रशिक्षण
5. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा कामकाज संचालन प्रक्रिया
6. उद्यमिता से आय में वृद्धि
7. ऑनलाईन सेन्टर से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि
8. किसान केडिट कार्ड ने बदली ग्रामीण किसानों की तकदीर
9. बायोगैस से बायोफयूल सीएन जी गैस निर्माण
10. घरेलू हिंसा क्या ?

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का सतासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का छठवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में दिनांक 31 मई 2023 को माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली गई। जबलपुर प्रवास के दौरान ही उक्त बैठक के पश्चात माननीय मंत्री जी का महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर में आगमन हुआ। जिसे **''माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संस्थान में आगमन''** एवं मंडला जिले के अंतर्गत रामनगर में दिनांक 27 एवं 28 मई 2022 को आदि उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसके प्रथम दिवस में मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 विषय पर मंडला, डिंडोरी एवं सिवनी जिले से आए प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसे **''जिला मण्डला के रामनगर में आदि उत्सव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 विषय पर प्रशिक्षण''** समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

संस्करण में **''बच्चों के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव''**, **''ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा कामकाज संचालन प्रक्रिया''**, **''उद्यमिता से आय में वृद्धि''**, **''ऑनलाईन सेन्टर से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि''**, **''किसान केडिट कार्ड ने बदली ग्रामीण किसानों की तकदीर''**, **''बायोगैस से बायोफयूल सीएन जी गैस निर्माण''** एवं **''घरेलू हिंसा क्या ?''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संस्थान में आगमन

दिनांक 31 मई 2023 को माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली गई। जबलपुर प्रवास के दौरान ही उक्त बैठक के पश्चात माननीय मंत्री जी का महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर में आगमन हुआ।

संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ द्वारा माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। स्वागत पश्चात माननीय मंत्री जी द्वारा संस्थान के प्रागंढ़ में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर पूजा अर्चना की गयी। तत्पश्चात माननीय मंत्री जी द्वारा संस्थान प्रागंढ़ में ही वृक्षारोपण किया गया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात माननीय मंत्री जी ''संकल्प'' कक्ष में पहुंचे जहां पर पुनः उनका स्वागत संचालक द्वारा पुष्प गुच्छ से किया गया। कक्ष में संस्थान के समस्त स्टाफ, अधिकारीगण, संकाय सदस्य एवं प्रोग्रामर उपस्थित रहे। माननीय मंत्री जी द्वारा संकाय सदस्यों एवं प्रोग्रामर से पूर्व किये गये प्रशिक्षणों एवं आगामी विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों पर विस्तृत चर्चा की।

''संकल्प'' कक्ष में आयोजित प्रशिक्षण संबंधी समीक्षा बैठक में संस्थान के श्री एस.के. सचान, उप संचालक (समन्वय), श्रीमती सुनीता चौबे, उप संचालक (प्रशिक्षण), डॉ. अश्विनी कुमार अंबर, उप संचालक (प्रशासन) एवं अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

बच्चों के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव

बच्चें ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक जैसे शारीरिक बनावट , स्वास्थ्य, बौद्धिक योग्यताएं , स्नायुमंडल, ग्रंथियों आदि है।वातावरण उसे इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। सामाजिक वातावरण बालक के व्यक्तित्व पर प्रबल प्रभाव डालता है।

जैसे जैसे बच्चा विकसित होता जाता है, वह उस समाज या समुदाय की शैली को आत्मसात् कर लेता है, जिसमें वह बड़ा होता है। ये व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे परिवार, आस पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, समाज, जलवायु आदि।

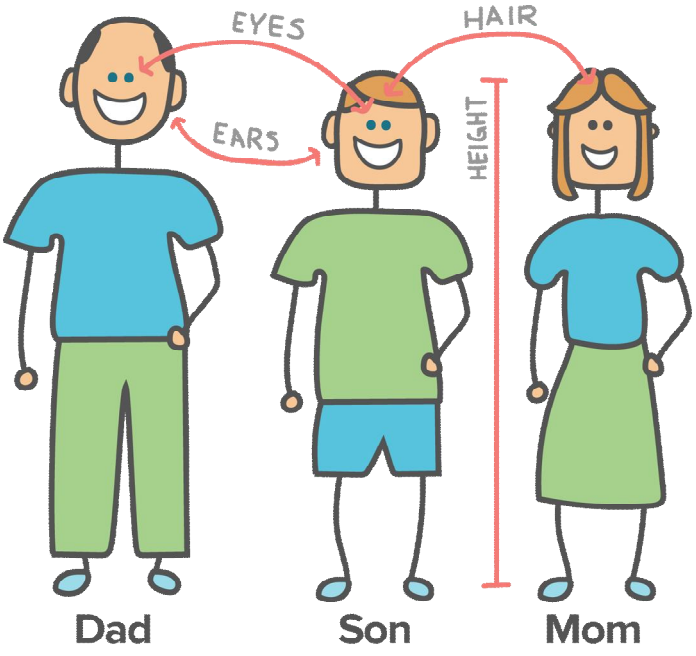

बच्चों का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। शिशु की क्षमताएं वंशानुक्रम से और उनका विकास वातावरण से निश्चित होता है। परिवार यानी माता पिता बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की प्रथम पाठशाला है। उसमें भी मां की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर माता पिता अपने बालक से प्रेम करते है और उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान करते है तो बच्चें में उत्तरदायित्व, सहयोग सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होगा और वह समाज के संगठन में सहायता देने वाला एक सफल नागरिक बन सकेगा। अगर घर में ईमानदारी व सहयोग का वातावरण है तो बच्चों में इन गुणों का विकास भलीभांति होगा ओर बडा होने पर सामाजा को सुदृढ करने में मदद करेगा ।

व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणन फल होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के ज्ञान से व्यक्ति मानवीय मूल्यों के विकास में रुचि लेने लगता है तथा दोनों की अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्तित्व के मूल्यों का विकास होता है। बच्चा बाह्य वातावरण से ही आदतों अभिप्रेरणा, चरित्र, क्षमताओं, रुचियों, अभिवृतियों आदि का विकास कर अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इन सब गुणों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से उसकी सीखने की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। वंशानुक्रम से बच्चों में अपने पूर्वजों के गुण का विकास भी उचित तरीके से होता है यदि वातावरण उचित नहीं है तो उसके गुणों का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगां । वातावरण बचचें की जन्मजात शक्तियों को निर्देशित तथा प्रोत्शाहित करता है। वातावरण ही बचचों के व्यवहार का निर्धारण कर उसमें सीखने की क्षमता का उत्तम विकास करता है। बच्चें के विकास के लिए घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक और समाज की हर इकाई, बालसेवी संस्थाएं एवं प्रेरक साहित्य की संयुक्त भूमिका है। इनमें से एक की भी भूमिका विघटित होती है तो उसका सामाजिक दृष्टि से विकास अवरूद्ध हो जाता है और व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। वंशानुक्रम से अर्जित विशेषताओं तथा वातावरण जन्य विशेषताओं के योग से विकास को निर्धारित किया जा सकता है। अतः शिशु का भावी विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया पर निर्भर करता है।

सीखना और वातावरण का एक दूसरे से निकट का संबंध है। बच्चें के आस पास विद्यालय अथवा परिवार में अगर अच्छा ,शांत, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर वातावरण है तो बच्चा अपने कार्य को शीघ्र सीख लेता है। बच्चों का नैतिक विकास उसके पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से अभिन्न संबंध रखता है क्योकि , जन्म के समय उनका अपना कोई मूल्य धर्म नहीं होता , लेकिन जिस परिवार, समाज में वह जन्म लेता है वैसा ही उसका विकास होता है। बच्चें की सीखने की प्रक्रिया पर उसके परिवार के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध,सामजस्य, उनकी शिक्षा, उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति, परिवार से प्राप्त स्नेह एवं सुरक्षा की भावना आदि समस्त कारक बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते है। परिवार का अच्छा वातावरण बालक को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है।

बच्चें के व्यक्तित्व विकास में वशांनुक्रम और वातावरण दोनो की भूमिका परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं ,या हम कह सकते है ये एक सिक्के के दो पहलू है , इनका जीवन में वही महत्व है जैसे जीवन जीने के लिए प्राण वायु की जरुरत हैं।

डॉ. वंदना तिवारी
व्याख्याता

जिला मण्डला के रामनगर में आदि उत्सव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 विषय पर प्रशिक्षण

मंडला जिले के अंतर्गत रामनगर में दिनांक 27 एवं 28 मई 2022 को आदि उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसके प्रथम दिवस में मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 विषय पर मंडला, डिंडोरी एवं सिवनी जिले से आए प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ,जिला कलेक्टर डॉ. सलोनी सडाना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती रानी बतेड सहित एवं जिला एवं जनपद पंचायत से आए अतिथि गणों ने मंडला के रामनगर में दो दिवसीय आदि उत्सव कार्यक्रमों में प्रदर्शनी का आयोजन, जनजातियों की शिक्षा रोजगार के विषयों को लेकर भी विभिन्न प्रदर्शनी नृत्य आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया ।

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान की ओर से उपसंचालक महोदय श्री शैलेंद्र कुमार सचान, संकाय सदस्य श्री निलेश कुमार राय, श्री पंकज राय, श्री सुरेंद्र प्रजापति आदि उपस्थित रहे। जिनके द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन, बैठक प्रक्रिया, ग्राम पंचायत की शक्तियां, शांति एवं विवाद निवारण समिति के कार्य ग्राम सभा के अधिकार एवं उनकी सीमाएं, भू अभिलेखों का संधारण, भूअर्जन के पूर्व

परामर्श, कपट द्वारा अंतरित आदिम जाति की भूमि की वापसी, जल संसाधनों एवं लघु जल संभर की योजना प्रबंधन , सिंचाई प्रबंधन, मत्स्य पालन ,खान एवं खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, बाजार मेलों

पर नियंत्रण ,अनुसूचित क्षेत्र में धन उधार देने पर नियंत्रण एवं विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं को संस्थाओं पर नियंत्रण की शक्ति आदि विषय पर जानकारियां प्रदान की गई इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 3000 प्रतिभागी उपस्थित रहे साथ ही साथ कुछ प्रतिभागियों के प्रश्नों का शंका समाधान भी किया गया एवं इसके पश्चात प्रशिक्षण का समापन किया गया।

सुरेन्द्र प्रजापति,
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा कामकाज संचालन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 46 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों के गठन एवं कामकाज से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। आईये हम, इन स्थाई समितियों का गठन, बैठक, कामकाज संचालन आदि के बारे में जानते हैं :–

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां क्यों गठित की जाती हैं ?

ग्राम पंचायतों द्वारा अपने कार्यों और कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये स्थाई समितियों का गठन किया जाता है।

ग्राम पंचायत में कौन–कौन सी स्थायी समितियों का गठन किया जाता है ?

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा नीचे लिखी तीन स्थाई समितियों का गठन जाता है :–

(1) सामान्य प्रशासन समिति
(2) निर्माण तथा विकास समिति
(3) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की क्या शक्तियां होती हैं ?

- ग्राम पंचायत द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग इन समितियों द्वारा किया जाता है।
- ये समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के कार्य करती हैं।

एक व्यक्ति कितनी स्थायी समितियों में सदस्य बन सकता है ?

- कोई भी व्यक्ति एक समय में दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हो सकता है।

ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में सदस्य व पदाधिकारी कौन–कौन होते हैं ?

- प्रत्येक समिति में चार सदस्य होते हैं।
- ग्राम पंचायत के पंच इन समितियों के सदस्य होते हैं।
- सरपंच और उप सरपंच सभी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं।
- सभी समितियों के सभापति सरपंच होते हैं।
- कोई भी पंच दो तक स्थाई समिति के सदस्य हो सकते हैं।
- इनके सचिव ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है ?

- इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल उनके पंचायत के कार्यकाल के बराबर ही होता है।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक कब एवं कौन बुलाते हैं ?

- स्थाई समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित करना जरूरी होता है। यह बैठक समिति के सभापति अर्थात ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बुलाई जावेगी।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक कहां बुलाई जावेगी ?

- ये बैठकें ग्राम पंचायत भवन या अन्य स्थान पर बुलाई जा सकती है।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए ?

- स्थाई समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना तीन दिन पहले दी जावेगी।

क्या एक से ज्यादा स्थायी समितियों की बैठक एक साथ बुलाई जा सकती है ?

- नहीं, एक साथ एक से ज्यादा समितियों की बैठक नहीं बुलाई जावेगी।

स्थायी समितियों की बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा की जावेगी ?

- सभी बैठकों में सरंपच द्वारा अध्यक्षता की जावेगी।
- सरपंच के बैठक में उपस्थित न होने पर उपसरपंच द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जावेगी।

बैठक में कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है ?

- समिति की आधे सदस्यों से बैठक का कोरम पूरा होगा।
- कोरम पूरा न होने की स्थिती में बैठक स्थगित कर दी जावेगी और पुनः बैठक का आयोजन किया जावेगा।
- इस प्रकार की स्थगित बैठक के पुनः आयोजन में कोरम की जरूरत नहीं होगी।

बैठक में निर्णय किस प्रकार से लिये जावेंगे ?

- सदस्यों के द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जावेगा।

बैठक में लिये गये निर्णयों को ग्राम पंचायत की बैठक में रखना जरूरी होता है ?

- हॉ, स्थाई समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को ग्राम पंचायत की बैठक में रखा जावेगा।

ग्राम पंचायत की स्थाई समिति ''सामान्य प्रषासन समिति'' को कौन–कौन से विषय सौंपे गये हैं ?

ग्राम पंचायत की स्थाई समिति ''सामान्य प्रशासन समिति'' को नीचे लिखे गये विषय सौंपे गये हैं :–

- ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापन और सेवाऐं
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन
- बजट
- लेखे
- कराधान तथा अन्य वित्तीय विषय
- भूमि विकास तथा सरंक्षण
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
- राजस्व
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम
- इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को सौंपे गये तथा अन्य समिति को आवंटित न किए गए समस्त विषय

ग्राम पंचायत की ''निर्माण तथा विकास समिति'' के अन्तर्गत कौन कौन से विषय शामिल किये गये हैं ?

निर्माण तथा विकास समिति को नीचे लिखे गये विषय सौंपे गये हैं :–

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण
- अभिन्यास '' ले आउट'' की योजना
- बजट तथ कार्यान्वयन
- सभी प्रकार की स्कीमें और कार्यक्रम
- संचार में सुधार
- ग्राम कुटीर तथा खादी उघोगों के विकास पर विशेषतः महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और उपवन'' पार्क''
- भविष्य में निर्माण हेतु अपनी स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव

- ग्रामीण विद्युतीकरण
- वन
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
- डेयरी
- कृषि
- जल संसाधन

ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के कौन–कौन से विषय हैं ?

ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के विषय नीचे लिखे गये हैं :–

- ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालयों का निरीक्षण
- प्रत्येक मास की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों को उपस्थिती का प्रमाणन
- अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नती तथा सहायता
- प्रौढ़ शिक्षा जिसमें आई.सी.डी.एस., आगंनवाड़ी, बालवाड़ी
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी कल्याण स्कीमों को प्रोत्साहन और निरीक्षण तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण स्कीम तथा स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण तथा उनकी उपस्थिती का प्रमाणन
- सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गो तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्यता तथा स्वच्छता
- महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथ अन्य पिछड़े वर्गो के लिए तथा उन लोगों के लिए जो गरीब रेखा से नीचे हैं, विकास तथा विशेष कार्यक्रम
- मत्स्य पालन
- खेलकूद
- श्रम

इस लेख में हमने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 46 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में दिये गये ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों के गठन एवं कामकाज से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को पढ़ा है। जिसमें स्थाई समितियों के गठन, बैठक, कामकाज संचालन आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

उद्यमिता से आय में वृद्धि

यह कहानी एक गरीब महिला के परिवार की है जिसमें महिला श्रीमती रूकमणी जी पति श्री सुमेर सिंह मण्डलोई व दो पुत्र अक्षय व अभिषेक कुल 04 सदस्यों का परिवार है, जिनके पास आजीविका का साधन मात्र एक एकड़ खेती से दिन भर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से 150 से 200 रूपये की कमाई हुआ करती थी व पति भी कम खेती व कम उपजाऊ होने के कारण गांव से चार से पांच किलोमीटर दूर गांवों में जाकर जहां बाजार लगता था वहां भोलेनाथ किराना दुकान पर 100 रूपये प्रतिदिन में काम करते हैं। जिससे दोनों की आमदनी मिलाकर महीने भर में 7000 से 8000 रूपये तक कमा पाते थे जिससे बड़ी मुश्किल से खर्च चल पाता था तब पति पत्नि दोंों ने विचार किया कि आमदनी बढाने के लिये और उद्योग को बढाने के लिये कुछ करना पड़ेगा ।

उन्होंने विचार किया कि गांव में कही मिर्ची मसाला पीसने की मशीन नहीं है फिर दोनों ने फैसला किया कि उद्योग को बढ़ाने हेतु मसाले की चक्की लाना होगी पर समस्या पैसे की थी कि मसाले की चक्की के साथ कच्चा माल भी लाना होगा ताकि अच्छी आमदनी हो जाए किन्तु आज के इस मंहगाई के समय में कम से कम इस कार्य हेतु 50000/– तक का खर्चा आएगा। फिर श्रीमती रूकमणी जी ने यह बात स्व सहायता समूह के सदस्यों के सामने रखी तो समूह के सदस्यों ने कहा कि इतना पैसा नहीं मिल सकता ज्यादा से ज्यादा 30000/– तक ही मिल सकता है। एनआरएलएम से ऋण प्राप्त किया, लेकिन इस राशि से मसाले की चक्की व कच्चा माल सामग्री आदि क्रय कर पाना सम्भव नहीं था ।

इसी परेशानी के दौरान रूकमणी जी ने ट्रांसफार्म रूरल इण्डिया फाउण्डेशन के पास फोन किया तत्पश्चात फाउण्डेशन टीम द्वारा आयोजित ईएमटी ट्रेनिंग 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और लोन के लिये समस्त दस्तावेज तैयार कर बैंक मैनेजर से लोन की प्रक्रिया शुरू करवाई गई। रूपये 50000/– का लोन मिलने के पश्चात इनके द्वारा व्यवस्थित रूप से व्यवसाय प्रारम्भ किया गया जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई । अब रूकमणी जी का परिवार उद्यमिता से आय में वृद्धि होने पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है।

प्रकाश पुरकर
संकाय सदस्य

ऑनलाईन सेन्टर से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि

संचार क्रांति के कारण ऑनलाईन सेन्टर से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की सफलता की यह कहानी ग्राम उपला तहसील राजपुर जिला बडवानी के अनुसूचित जन जाति के युवक विनोद पिता सीताराम अलावे की है।

विनोद अलावे कोविड 19 महामारी के कारण 12 वी कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई में असमर्थता महसूस कर रहा था लेकिन ऐसे समय में टीआरआईएफ संस्था के युवा कम्पास के द्वारा CL Educate के बारे में पता चला कि CL Educate कम्प्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण करवाती है तब विनोद ने इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की वैसे तो ग्राम क्षेत्र होने के कारण कोई भी बच्चे को बाहर भेजना नहीं चाहते है, लेकिन CL Educate में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण निःशुल्क होने के कारण विनोद प्रशिक्षण प्राप्त करने चला गया ।

प्रशिक्षण में विनोद को बताया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वंय का उद्यम स्थापित कर सकता है। विनोद अलावे ने CL Educate में 03 माह कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया प्रशिक्षण में रहने और खाने के साथ होस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

CL Educate से प्रषिक्षण लेने के बाद विनोद कम्प्यूटर को अच्छे से चलाना सीख गया था और इससे उसके आत्मविश्वास आ गया था कि कम्प्यूटर पर अच्छे से काम कर सकता है।

विनोद को टीआरआईएफ के युवा कम्पास से मार्गदर्शन मिला और उसने गांव में सीएससी और एमपी आनलाईन की दुकान खोलने का प्लान बनाया अभी वर्तमान में विनोद अलावे सीएससी और एमपी आनलाई की दुकान गांव में चला रहा है, जिससे सभी नागरिक सुविधाएं गांव में मिल रही है और प्रतिदिवस का लेन देन 500 से 1000 रूपये तक का हो जाता है।

राजेन्द्र जोशी
संकाय सदस्य

किसान क्रेडिट कार्ड ने बदली ग्रामीण किसानों की तकदीर

आजादी के बाद देश के सामने जो चुनौतियां थीं उनमें सबसे बड़ी चुनौती थी ग्रामीणों के आधारभूत जीवन में सुधार के लिए उन्हें पूंजी उपलब्ध कराना ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ा हुआ है यानी जब तक खेती करने वाले किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश की पूर्ण समृद्धि की कल्पना अधूरी रहेगी।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है हमारे देश में 60 प्रतिषत से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं भले ही इसका योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि जीडीपी में कम से कम 27 प्रतिषत है बाहर कृषि के महत्व को आने वाले वर्षों में काम करके आंका नहीं जा सकता है कृषि सदियों से जीवन के लिए एक तरीका है तथा भी यह अब भी अधिकांश ग्रामीण जनता के लिए अजीब का का मुख्य स्रोत है आता है कृषि का तीव्र विकास समावेशिका के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव आ रहे हैं और बेहतर निष्पादन के स्पष्ट संकेत है दशमी योजना की तुलना में कृषि विकास तीव्र हो गया है और विविधीकरण प्रगति पर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण मजदूर गैर कृषि कार्य की ओर रुक कर रहे हैं जिससे कृषि के श्रम बाजार में टंगी आ रही है और कृषि मजदूरी पर दबाव पड़ रहा है तथापि ग्रामीण स्व नियोजित लोगों की कृषि पर निर्भरता जो कि क्यों है और उनके खेत का औसत आकर जनसंख्या वृद्धि के साथ घटता जा रहा है इसमें वृद्धो और महिलाओं की बहुलता वाली जनसंख्या अभी है जिसके शिक्षित युवा सदस्य द्वारा खेती के कार्य में बने रहने की संभावना कम है अतः फॉर्म उधम अधिकांश तय छोटे फार्मो की 12वीं योजना के ध्यान केंद्रन का एक विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए योजना को अन्य प्राथमिकताओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों की धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए संसाधन उपयोग दक्षता और प्रयोग की जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलन तथा सकल कारक उत्पादकता में सुधार करना।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। नेहरू जी के इसी मंत्र को केंद्र सरकार ने अपनाया तथा किसानों को समृद्ध बनाने हेतु किसान क्रेडिट योजना शुरू की इसके द्वारा किसानों को समय पर पैसा उपलब्ध हो रहा है और वे अन्यत्र कहीं से सूद पर पैसा लेने से बच रहे हैं। विगत कुछ समय में भारतीय किसान किसान क्रेडिट योजना की मदद से आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से बैंकों पर आधारित यह योजना किसानों के लिए रामबाण साबित हो रही है। इसका फायदा बड़े किसानों के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को भी भरपूर मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड ने न सिर्फ कृषि विकास को गति दी है बल्कि सामाजिक समस्या का भी खत्म किया है। अब किसानों को ना तो साहूकारों के चाल में फंसना पड़ता है, और ना ही पैसे के अभाव में उनकी फसल खराब होती है। वे समय पर फसल में न सिर्फ खाद बीज की

व्यवस्था कर लेते हैं बल्कि दूसरी आधारभूत जरूर से भी पूरी करने में सफल हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं नावार्ड ने योजना तैयार की और इसे वर्ष 1998 में लागू किया। इस योजना में किसानों को उनके खेत के रकबे के हिसाब से ऋण की राशि तय की गई जिस किसान के पास जितनी जमीन होगी उसी हिसाब से ऋण की सीमा निर्धारित कर दी गई है। किसान जब चाहे बैंक से पैसा ले और उसका उपयोग कृषि कार्य में करें जैसे ही उसके पास पैसा आए वह ऋण खाते में पैसा जमा कर दे और ली गई राशि पर ब्याज से मुक्ति पाले कैसे किसान क्रेडिट कार्ड का मूल उद्देश्य भी यही था कि किसानों को बार–बार ऋण उपलब्ध कराया जाए। इतना ही नही किसान क्रेडिट कार्ड में हर मौसम में मूल्यांकन की भी आवश्यकता नहीं है। किसान कोई भी पहचान –पत्र बैंकों को उपलब्ध करा कर अपनी फसल के लिए आवश्यक ऋण ले सकता है। किसान जितना ऋण लेता है इस पर उसे ब्याज देना पड़ता है। इस योजना के तहत किसान को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक पर किसान का नाम व पता भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वेद्यता अवधि, पासपोर्ट आकार का फोटो लगा होता है। यह पासबुक लेनेदेन के साथ ही पासपोर्ट का भी काम करती है। इतना ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन लाया गया है। कार्डधारक किसान की मृत्यु पर 50000 रूपये स्थानीय पूर्ण अक्षमता पर 50000 रुपए, दो अंग या दोनों आंख या एक अंग तथा एक आंख के खो जाने पर 50000 रूपये, अस्थाई विकलांगता पर 25000 की व्यक्तित्वक दुर्घटना बीमा रक्षा दी जाती है।

दरअसल सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाने के बाद भी सूदखोरों का जाल टूट नहीं रहा था, क्योंकि किसानों को कई चरणों में पैसे की जरूरत पड़ती है। कभी बीज के लिए तो कभी खाद के लिए ऐसे में वे अपनी पूरी उपज बेचने के बाद भी सूदखोर का ब्याज नहीं चुका पाते थे। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक सर्वे कराया सर्वे में यह बात सामने आई कि यदि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को फसल बार पैसा मिल सके, तो इस हेतु सरकार ने 1998 –99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी संभाली भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड ने पहली बार वर्ष 1989– 99 मैं 607225 कार्ड जारी हुए।

रिजर्व बैंक और नाबार्ड की पहल से आया किसान क्रेडिट कार्ड

आज हर किसान के हाथ में जो कार्ड है और जिससे राज्य मैं खुशहाली आई है। उसकी पहल भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने संयुक्त रूप से की थी वर्ष 1998 में 99 में इसे लागू किया गया इसके द्वारा किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इस योजना के द्वारा किसान सरल प्रक्रिया के तहत आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं

इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को फसलों के लिए अलग–अलग आवेदन करने

की प्रक्रिया के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है अब एक बार जोत वही के आधार पर तैयार किए गए कार्ड से दे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं नजदीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ की भी जरूरत नहीं है वे अपने इलाके में स्थित बैंक में जाएं और आवेदन कर दें किसानों को पासबुक दी जाती है पासबुक पर किसान का नाम व पता भूमि जोत का विवरण उधार सीमा वैधता अवधि एक पासपोर्ट आकार की फोटो लगाए जाता है जो पहचान पत्र का भी काम करता है खाते का उपयोग करते समय किसान को अपना कार्ड सह पासबुक दिखानी होती है इस योजना में ऋण सीमा के अनुरूप जो किसान □10000 तक ऋण लेते हैं उन्हें मार्जिन मनी नहीं दी जाती है लेकिन जो किसान □25000 से अधिक ऋण लेते हैं उन्हें 15 से 25 फीसदी तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत किसान खरीद एवं रवि सीजन में □50000 तक का रेट ले सकते हैं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पैकेज किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रदान किया जाता है यह योजना देश भर के सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की मृत्यु या स्थाई क्षमता को शामिल कर दी है इसमें 70 वर्ष तक की आयु के सभी कार्ड धारक किसानों को शामिल किया गया है यदि कार्ड धारी की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है जो कि वह हिंसक तथा दृष्टिगत कारणों से हो तो उसके परिजन को □50000 एवं स्थाई पूर्ण क्षमता की स्थिति में भी □50000 प्रदान किए जाते हैं इसके अलावा यदि दो अंगिया दोनों आंख्या एक अंग तथा एक आंख खराब हो जाने पर भी परिजन को □50000 देने का प्रावधान है इसी तरह एक अंगिया एक आंख खराब हो होने पर कार्ड धारी को □25000 देने का प्रावधान किया गया है जिन मामलों में वार्षिक प्रीमियम भरा जाना हो उनमें बीमा कवर हिस्सा लेने वाले बैंकों से प्रीमियम प्राप्त होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होता है 3 वर्ष की अवधि वाले बीमा के मामले में बीमा प्रीमियम प्राप्ति की तिथि से 3 वर्षों तक होगा इस योजना में प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए लागू □15 वार्षिक प्रीमियम में से □10 बैंक तथा □5 कृषि किसान क्रेडिट कार्ड धारक को देना होता है इस योजना में क्षेत्रवार आधार पर व्यवसाय की सेवा 4 बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही है इस योजना में मृत्यु क्षमता के दावों के मामलों में तथा डूबने से मृत्यु होने पर दावे का निपटारा बीमा

कंपनियों द्वारा किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा हो रहे हैं समाज में महत्वपूर्ण बदलाव किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि गांव में सूदखोरी प्रथा खत्म हो गई है क्योंकि पैसे के अभाव में किसान गांव में रहने वाले साहूकार पर आश्रित रहता था खेती के लिए वह यह जानते हुए भी कि साहूकार मनमाने तरीके से वसूली करता है फिर भी उसके पास कर्ज लेने जाता था इसी तरह खाद बीज के व्यापारी भी मुंह मांगी कीमत वसूलते थे फिर भी किसान उनसे खाद बीज खरीदने को विवश होता था इसका असर यह होता था कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसान जो उपज पैदा करता था वह साहूकारों को कर्ज चुकाने भर होती थी कई बार उपज कम होने पर साहूकार का कर्ज नहीं उतर पाता ऐसे में किसान आत्महत्या का रास्ता चुनने को विवश हो जाते थे लेकिन अब स्थितियां बदल गई है किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने के बाद किसान अपनी पसंद का बीज खरीदते हैं और अपने हिसाब से खाद डालते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से जहां उन्हें सस्ती दर पर ऋण मिल जाता है वही इसकी अदायगी मैं किसी तरह का झंझट नहीं रहता है यह एक तरह से सामाजिक क्रांति जैसा है इस बात को खुद किसान स्वीकार करते हैं किसानों का मानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड मैं दी गई सहूलियत हो की वजह से उनकी कृषि संबंधी समस्या का निराकरण हो गया है किसानों को सस्ती दर पर ऋण सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मुहैया कराया जाए यही वजह है कि मौजूदा बजट में किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण मुहैया करने की घोषणा की गई है वर्तमान में ज्यादातर खेती हर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले रहे हैं ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले ऋण पर सिर्फ 4 फीसदी प्याज लेने का फैसला ऐतिहासिक है इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा लोगों को स्वरोजगार किसान क्रेडिट कार्ड में स्वरोजगार की दशा में अहम भूमिका निभाई है जो कि इस कार्ड के जरिए सिर्फ खेती के लिए ऋण लिया जा सकता है ऐसे में तमाम किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ती दर पर ऋण लिया खेती की उपज बेचकर बैंक का पैसा अदा करने के साथ ही अपनी पूंजी भी तैयार की इस तरह धीरे–धीरे पूंजी खट्टी होती गई और फिर इस एकत्रित पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ खेती ही नहीं जीव का जीविकोपार्जन की दशा में दूसरे विकल्प भी मुहैया करा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराए जाने के बाद किसानों को कई स्तर पर फायदा मिला है उन्हें खेती के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है वे मनचाही खेती करते हैं और मुनाफा कमाते हुए बैंक का पैसा चुका देते हैं इस तरह उनकी माली हालत में भी निरंतर सुधार हो रहा है किसानों का कहना है कि जब से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए हैं अब पैसे के अभाव में एन वक्त पर उनकी खेती नष्ट नहीं हो पाती है खाद की जरूरत पर खाद मिल जाती

है और पानी की जरूरत होने पर पानी भी मिल जाता है एक किसान का कहना है कि पहले पैसे के अभाव में कई बार वह दवा छिड़काव नहीं कर पाते थे और उनकी फसल चौपट हो जाती थी जब उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी मिली तो वह सीधे स्टेट बैंक की शाखा में पहुंचते किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया कार्ड मिलने के बाद शाखा प्रबंधक ने उसके संचालन के बारे में भी जानकारी दी अब बुवाई के समय व्हिच के लिए बैंक से पैसा ले लेते हैं दवा छिड़कने की जरूरत पड़ती है तो भी बैंक से पैसा लेकर दवा छिड़क देते हैं इस तरह फसल को बर्बाद होने से बचाने में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रमुख भूमिका होती है किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा लाभ किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को कई स्तरों पर फायदा मिलता है उन्हें खेती के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता है वे अपने अनुसार खेती करते हैं तथा मुनाफा कमाकर बैंकों का ऋण चुका रहे हैं इस तरह किसानों के आर्थिक स्तर में भी वृद्धि हो रही है अब किसान ऋण के बोझ में नहीं दवे रहते हैं तथा वह आत्महत्या करने की भी कोशिश नहीं करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रमुख कुछ लाभ निम्न प्रकार है पहला कृषि से संबंधित कार्य के संचालन के लिए ऋण उपलब्ध है दूसरा डेयरी एवं मुर्गी पालन सहित अन्य प्रकार की अनुषंगी सेवाओं के कार्यशील पूंजी हेतु ऋण सुविधा दी जाती है कृषि कार्य हेतु बीज खाद की बैंक की शाखा द्वारा निर्मित विक्रेता से खरीदारी की जाती है फसल प्रणाली और चौथ भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा तय की जाती है किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए ऋण राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु पात्र होता है तथा दुर्घटना बीमा योजना के तहत भी आवरण किया जाता है सुयोग्य कृषक पट्टे जारी पर खेती करने वाले किसान किसान क्रेडिट कार्ड के पात्र हैं किसानों को नगदी ऋण सुविधा एवं चुनौती की व्यवस्था की गई है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सबसे कम दर पर ब्याज बैंकों से ऋण उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों के लिए किसी भी समय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना व किसानों के लिए ब्याज के बोझ को – किसानों की सुविधा और विकल्प के अनुसार खाद और उर्वरक की खरीद करना डीलर से नगद खरीद पर छूट प्रदान की जाती है 3 वर्षों तक ऋण सुविधा यानी हर मौसम में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है कृषि आय के आधार पर अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाना ऋण सीमा के भीतर कई बार राशि का निकालना संभव है फसल कटाई के बाद अदायगी का प्रावधान किया गया है कृषि अग्रिम के अनुसार प्रतिभूति मार्जिन एवं प्रलेखन नियम होंगे इस प्रकार सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को पूर्ण सिंचित भूमि का आकलन करके वास्तविक मूल्य निर्धारित कर बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कर भूमि के मूल्य आधार पर कृषकों को फसल ऋण प्रदान कर रही है जिसका लाभ देश के सभी किसानों को मिल रहा है।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,
संकाय सदस्य

बायोगैस से बायोफयूल सीएन जी गैस निर्माण

हमारे देश मे 70 प्रतिशत गन्नो की खेती महाराष्ट कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यो मे होती है श्री नरेन्द्र मोहन संचालक राष्टीय गन्ना संस्थान द्वारा एक अखबार मे जानकारी दी गई कि हमारे देश मे लगभग 300 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता है। जिससे 3,5 प्रतिशत प्रेस मड प्राप्त होता है जिससे हम लगभग 10 मिलियन मेट्रिक टन बायोसीएनजी को प्राकृतिक रूप से तैयार कर सकते है । गन्ने ,गाय भौस के गोबर और अन्य बायो वेस्ट के द्वारा बायोसीएनजी को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है हमारे देश मे विभिन्न राज्यों मे इस प्रकार के प्रयोग चल रहे है जैसें मध्य प्रदेश के ईन्दौर जिले मे बायोफयुल तैयार किया जा रहा है । गुजरात राज्य के बनासकंठा मे स्थित बनासकंठा बायोसीएनजी प्लांट का प्रबंधन बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक युनियन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा एक जीता जागता उदाहरण है। बनासकंठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संध लिमिटेड से कचरा एक, किया जाता है । इसमे 12 गावों के लगभग 254 परिवारो मे 5 से अधिक गाय /भैस है । गाय से प्राप्त इन धरो से एकत्रित गोबर का वजन किया जाता है ।

इनका और मोबाईल का उपयोग करके मात्रा को चिन्हित किया जाता है अनुपयोग दूध के भुगतान के साथ साथ प्रत्येक 15 दिनो मे गोबर के लिए रू1 प्रति किलोग्राम लाभार्थी खाता मे क्रेडिट किया जाता है ।तैयार किये गए बायोगैस मे संग्रहित किया जाता है । पौधो मे इसके

वेस्ट मटेरियल को खाद के रूप मे प्रयोग किया जाता है । प्रतिदिन कुल 800 किलोग्राम बायोसीएनजी और वाहनो मे शुद्व गैस भरी जाती है ।वितरण प्रणाली के लिए गैस स्टेशन (8 किलो प्रति वाहन) के हिसाब से लगभग 100 वाहनो मे शुद्व गैस भरी जा सकती है ।

बायोसीएनजी तैयार करने के इस प्रक्रिया मे घोल के ठोस भाग को वर्मीकम्पोस्ट मे परिवर्तित किया जाता है या जोडकर परिवर्तित किया जाता है । राक फास्फेट को किसानो को बेचा जाता है । उपचार हेतु तरल भाग को पुनः प्रयोग मे लाया जाता है ।

ग्रामीण जनों के लिए आय की गणना

बायागैस मे गोबर के सहयोग के लिए ग्रमीणजनो को शुद्व आय का सृजन होता है । उदाहरण के लिए करीब 5 गायो के हिसाब से 15 किलो गोबर प्रति गाये प्रतिदिन अत : 1 किलो ग्राम गोबर की कीमत 1 रू इस हिसाब से 75 किलो प्रतिदिवस के मान से 75 रू की कमाई प्रतिदिवस एवं 2250 किलो ग्रम प्रतिमाह के हिसाब से 2250 रू की कमाई प्रति माह इस तरह से 27,375 किलो ग्रम प्रति वर्ष के हिसाब से 27,375 की आमदनी प्रति वर्ष किसानो को होगी । इस प्रकार से हम बायो फयुल से बायो सीएनजी तैयार कर हम अत्मनिर्भर हो रहे है।

क्र.	विविध	डिटेल्स
1	प्लांट की क्षमता	800 किलो प्रति दिन
2	कचरा ग्रहण क्षमता	40 टन
3	उपयोग किए जाने वाले कचरे का प्रकार	गाय का गोबर ,आलू का वेस्ट मटेरियल
4	लागत	80,400,000(जमीन की किमत को छोडकर) सिविल वर्क (45650000) मेकेनिकल वक (34750000)
5	आपरेशनल एवं मेन्टेनेंस कास्ट	38,47,479 प्रति माह
6	फीडस्टाक एकत्रिकरण	7 टेक्टरो के द्वारा 12 गॉवो के 254 परिवारो से एकत्रिकरण का कार्य कराया जा रहा है
7	फंड	बनासकंठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक युनियन लिमिटेड

अभिषेक नागवंशी,
संकाय सदस्य

घरेलू हिंसा क्या ?

जब कोई परिवार का पुरुष महिला के साथ मारपीट या क्रूरता करता है। तो वो घरेलू हिंसा के आधीन आता है, लेकिन ये सच नहीं है सिर्फ मारपीट या क्रूरता ही नहीं, बल्कि ओर भी अत्याचार ऐसे होते है जो आपको साधारण लगते हो, लेकिन वो भी घरेलू हिंसा (Domestic Violence) में आते है।

हाल में आई NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में काफी इजाफा हुआ है, ओर भारत में बहुत से महिलाए इसके बारे में जानती ही नहीं ओर वो घर के अंदर घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती है। इनमे से कुछ एसी महिलाए भी है, जो इस कानून को अच्छे से जानती भी है पर घरेलू हिंसा को सहन करती रहती है। ताकि उनका घर न टूटे पर अत्याचार सहना भी एक अपराध है।

घर में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते है कोई भी महिला जिसको शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, शाब्दिक या उसकी भावनाओ के साथ खिलवार्ड किया गया हो या उसके साथ गंदे शब्दों का इस्तमाल किया गया हो वो सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते है।

घरेलू हिंसा (Domestic Violence Act) कितने प्रकार की होती है ?

- शारीरिकः मार–पीट करना, शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचना, किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचना।
- मानसिकः चरित्र, आचरण पर दोष, अपमानित, लड़का न होने पर प्रताड़ित, नौकरी छोड़ने या करने के लिए दबाव, आत्महत्या का डर देना,घर से बाहर निकाल देना, किसी भी प्रकार की मानसिक चोट पहुंचना।
- लैंगिकः बलात्कार, जबरदस्ती संबंध बनाना, जबरदस्ती अश्लील सामग्री दिखाना ,अपमानित लैंगिक व्यवहार।
- आर्थिकः दहेज की मांग, सम्पति की मांग, पत्नी व बच्चे के खर्च के लिए आर्थिक सहायता न देना ,रोजगार न करने देना या मुश्किल पैदा करना ,आय–वेतन आपसे ले लेना, संपत्ति से बेदखल करना किसी भी प्रकार की आर्थिक चोट पहुंचना।
- शाब्दिकः गाली–गलोच, अपमानित।
- आपके खिलाफ झूठी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया जाता है तो कैसे बचे ?
- सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इस कानून का उपयोग पुरुष नहीं कर सकते है। ये कानून केबल महिलाओ के लिए बना है ओर काफी बार देखा गया है की पत्नी इस कानून का फायदा भी उठाती है

(मै सभी पत्नी की बात नहीं कर रही हूँ) वो अपने पति से पैसा ओर उसको हैरेसमेंट करने के लिए झूठी कंप्लेंट दर्ज करा देती है। अक्सर देखा गया है पत्नी 498 , 125 CRPC, Domestic Violence एक साथ लगा देती है। ओर पति का नीचा दिखाने ओर पैसा ऐठने के लिए करती है।

Domestic Violence Act में बचाव कैसे करे ?

- सबसे पहले आपके पास जितने भी सबूत हो उसको इकठ्ठा कीजिए जैसे धमकी देने की रिकॉर्डिंग, चौट, ईमेल इत्यादि।
- पत्नी की कंप्लेंट को ध्यान से पढ़े ओर उसके झूठ को पकडे।
- आमतौर पर देखा जाता है पत्नी 498 कंप्लेंट भी साथ में दर्ज करती है उस कमप्लेंट को भी ध्यान से पढ़े क्योंकि झूठे केस में झूठ ही होता है
- पत्नी दवारा पुलिस के समक्ष बयान या कोर्ट के समक्ष बयान दिए है उन सबको ध्यान से पढ़े कंही न कंही त्रुटि बयान में मिलेगी।
- आपका मकसद केबल ये ही रहना चाहिए की जज के सामने झूठ लाया जाये।
- आपको ये ही भी साबित करना होगा की पत्नी अपनी मर्जी से पति का परित्याग किये हुए है।

पर्सनली एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत से पति ऐसे होते है। जिनको कानूनी ज्ञान की कमी होती है ओर वो वकील पर निर्भर होते है जैसा वकील साब बोलते है वैसे ही पति करता रहता है। केस आपका वकील ही लड़ेंगे लेकिन आपको भी ज्ञान होना जरुरी है। ये आपकी लड़ाई है इसको आपसे बेहतर कोई ओर नहीं जानता। इसलिए इंसाफ के लिए आपको भी महेनत करनी होगी। आपको बहुत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए ।

अर्चना कुलश्रेष्ठ,
व्याख्याता